पुनरीक्षण प्रकरण कमांक R—/I/114 /2014

निगरानी 13-I-15

आवेदक : राजेन्द्र उर्फ राजकुमार उर्फ राजाराम पिता झनकलाल साहू आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी– ग्राम जमुनिया का ढाना गाड़रा तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

विरूद्ध

अनावेदकगण :
1. कलेक्टर छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)
2. भू अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)
3. इन्दरसा पिता मेंहगलाल गौंड आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी– ग्राम जमुनिया का ढाना गाड़रा तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

458

**पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959**

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

आवेदक यह पुनरीक्षण अनावेदक कमांक 1 माननीय अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 07/अ–74/2014–15 राजेन्द्र उर्फ राजकुमार साहू विरूद्ध म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक 30/10/2014 से पीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य**

1. यह कि, आवेदक द्वारा एक आवेदन माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार छिंदवाड़ा के समक्ष मौजा जमुनिया प.ह. नं. 36/28, ब.नं. 191, में रा. नि.मं. छिंदवाड़ा नं. 1, स्थित भूमि का खसरा नं. 299/6 का रकवा 1.569 हे. भूमि एवं खसरा नं. 299/7 का रकवा 1.177 हे. जो सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश खसरा नं. 299/6 रकवा 1.177 व खसरा नं0 299/7 रकवा 1.569 हे. दर्ज कर दी गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड दुरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. यह कि, आवेदक के पूर्वज मानक, गणेश, झनक, अनक (नाबालिग) द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18/10/1957 में रकवा 22.77 एकड़ भूमि जिसका खसरा नं.

R-13-I/15 राजेन्द्र / कलेक्टर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा

| [illegible] | [illegible] | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16-12-14 जबलपुर कैम्प | आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के प्र०क्र० 07/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-10-14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br>2- न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी छिंदवाड़ा के प्र०क्र० 16/अ-82/2011-12 के द्वारा पारित आदेश दि० 22-7-13 के अनुसार प्रश्नाधीन खसरा क्रमांक 299/6 में से 0.777 हेक्टेयर भूमि के भू-अर्जन बावत् अवार्ड पारित किया जाकर प्रतिकर का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु भूमिस्वामी इन्दरसा को सूचना पत्र दि० 18-9-13 जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का भू-अर्जन हो जाने से अतिरिक्त कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।<br>(हस्ताक्षर)<br>प्रशासकीय सदस्य | |